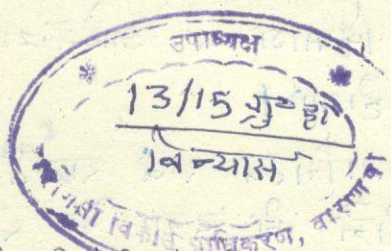


दिनांक 17-12-15

मुहर

दिनांक.....20



नगर अभियन्ता (भवन)
विकास, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्त:-

- 1:- पक्षगण को स्थल पर 72 पेड़ लगाना होगा।
- 2:- स्थल पर कड़ा संचयन को पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 3:- बेसमेंट में वेंटिलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होना मान्यता में दर्जित है। पक्षगण को सुनिश्चित करना होगा तथा बेसमेंट जो बिल्डिंग लाइन से अधिक पर बनी है, उस स्लैब का स्ट्रक्चर/ डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होजे।
- 4:- कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग बाजेट पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था पक्षगण को करना होगा।
- 5:- पक्षगण को मालवा अपने मूरबण्ड पर रखनी होगी।
- 6:- विद्युत विभाग व आग्निशमन विभाग को शर्तों का पालन करना होगा।
- 7:- मू-रबासिलब एवं समस्त सम्बन्धित किसी प्रकार का - विवाद होने की दशा में संबंधित मान्यता रखते अधिकारी माना जायेगा, जिसका समस्त जिम्मेदारी पक्षगण की होगी।
- 8:- पक्षगण को अपने शपथ - पत्र दिनांक:- 06/8/15 का पालन करना होगा।
- 9:- सविषय में यदि कोई देयता निकलती है तो पक्षगण द्वारा देय होगा।

14/8

14/12/15

विन्यास

15.12.15

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।